

e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: 0068736963



Payment Date: 22/11/2022 12:43:07

Office Name: SUB REGISTRAR-II REGISTRATION & STAMPS, SANGANER
Location: SANGANER
Period: 01/04/2022-To-31/03/2023

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-03-800-01-00-अन्य प्रप्तियां	50.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	50.00

Fifty Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: MITRA SHARMA ADV

Pan No.(If Applicable):

Address:JAIPUR

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :

City(Pincode): Jaipur(000000)

Remarks:SEARCH REPORT- M/S PURE AWAS
DEVELOPERS LLP, PROPERTY- KHASRA NO.475/2 VILL-
VATIKA TEH-SANGANER JAIPUR, YEAR- 2022

Payment Details:

Bank: State Bank Of India

Date: 22/11/2022 12:43:07

Challan No. - 0

Bank CIN No: SBIN6873696322112022

Refrence No: CKV4669472

Computer generated copy on : 22/11/2022

Courtesy : <https://Egras.rajasthan.gov.in>

Mitra Sharma

Advocate

Rajasthan High Court

Off.C-95 R.P.A. Road, Nehru Nagar, PaniPech,

Jaipur-302016

Mob.9829316264

Email : mitrasharma2007@yahoo.com

Date: 23.11.2022

TITLE SEARCH REPORT

RESIDENTIAL SCHEME SHUBHASHRAY VATIKA UNDER PROVISION NO. 3A OF CHIEF MINISTER JAN AWAS YOJNA (CMJAY) SITUATED AT KHASRA NO. 475/2, VILLAGE VATIKA, TEHSIL SANGANER, JAIPUR, RAJASTHAN, AREA 5021.46 SQ. MTR.

Land of khasra no. 475/2, of village Vatika, Tehsil Sanganer, District Jaipur, Rajasthan was agriculture land and recorded in revenue records in the names of M/s Pure Awass Developers LLP, registered office 526, Fifth Floor, Park Centra Building, Sector-30, Gurgaon-122001 and area of land was 2.5846 hectare (25846 sq. mtr.) (Said Land).

Said Land has been surrendered to Jaipur Development Authority under provisions of section 90-A of Rajasthan Land Revenue Act, 1956 and after all due process, permission for conversion of agriculture land for non agriculture land use/ residential purposes was granted vide order, serial number LU2012/JDA/2019-20/101139, dated 30.06.2020, passed by Deputy Commissioner Zone- 14, Jaipur Development Authority. After passing of above 90A order Said Land has been recorded in the name of Jaipur Development Authority Jaipur.

Whereas out of total 25846 sq. mtr. Land, M/s Pure Awass Developers LLP has applied to Jaipur Development Authority, Jaipur for issuing of Ekal Patta (Single Patta) of 6916.19 sq. mtr. of land, under provision 3A of Chief Minister Jan Awas Yojna 2015 and remaining 18929.19 sq. mtr. land has been left for future development etc. Where as out of total 6916.19 sq. mtr. land, 1629.93 sq. mtr. land was surrendered for road widening and 264.80 sq. mtr. land was surrendered for facility area.

After all due process, Jaipur Development Authority, Jaipur has issued Ekal Patta (Single Patta) of 5021.46 sq. mtr. of land, under provision 3A of Chief Minister Jan Awas Yojna 2015, (Subject Land) situated at Khasra No. 475/2, village Vatika, Tehsil Sanganer, District Jaipur in favour of M/s Pure Awass Developers LLP, vide serial no, 2269 dated 31.05.2022 (Said Patta).

Said Patta has been registered in the office of Sub Registrar Jaipur – III, on 30.06.2022 at book no. 1, volume no. 895, page no. 47, sr. no. 202203017107840 and copy of which has been affixed on additional book no. 1, volume no. 3603, page no. 215 to 228.

Mitra Sharma

Advocate Rajasthan High Court
Enr. No. R/2078/2002

Later on M/s Pure Awas Developers LLP, registered office 526, Fifth Floor, Park Centra Building, Sector-30, Gurgaon-122001 had applied to ORIGIN Architects (Registered Architect) for approval of Lay out and Building plans under provision no. 3A of Chief Minister Jan Awas Yojna 2015 of their scheme named Shubhashray Vatika over above mentioned land of khasra no. 475/2, village Vatika, Tehsil Sanganer, District Jaipur. After all due process of Lay out and Building plans approval, Registered Architect Mr. Mayur Goyal of ORIGIN Architects, registered office at S-26, Second Floor, Sukham Tower, Bhagat Singh Colony, Bhiwadi, Alwar (Reg. No. CA/2009/46101, CTP RAJ/JArchitect/2021/51) has passed the Lay out and Building plans of Scheme Shubhashray Vatika, situated at Khasra/Plot No. 475/2, Village Vatika, Tehsil Sanganer, District Jaipur, Rajasthan and M/s Pure Awas Developers LLP has deposited the requisite amount to Jaipur Development Authority, Jaipur vide challan no. 811661 dated 14/10/2022 .

In compliance of Lay out and Building plans approval letter dated 28.10.2022 and after deposition of required fees and due procedure, layout plan of Scheme Shubhashray Vatika, has been released .

I undersigned came to the conclusion that land of residential scheme Shubhashray Vatika, situated at khasra/plot no. 475/2, village Vatika, Tehsil Sanganer, District Jaipur, Rajasthan, area 5021.46 sq. mtr. belongs to Pure Awas Developers LLP, registered office 526, Fifth Floor, Park Centra Building, Sector-30, Gurgaon-122001 subject to terms and conditions of 90A order and Ekal Patta (Lease Deed) dated 31.05.2022 , mentioned above .

Conclusion

I have examined all the above documents and aspects and come to the conclusion that M/s Pure Awas Developers LLP, registered office 526, Fifth Floor, Park Centra Building, Sector-30, Gurgaon-122001 Jaipur has a clear and marketable title over residential scheme named Shubhashray Vatika situated at khasra no. 475/2, village Vatika, Tehsil Sanganer, District Jaipur, Rajasthan, area 5021.46 sq. mtr. The chain of the Title of scheme is complete.

I certify that that M/s Pure Awas Developers LLP, registered office 526, Fifth Floor, Park Centra Building, Sector-30, Gurgaon-122001 has/have an absolute, clear and Marketable title of the scheme.

Jaipur

Date 23.11.2022



Mitra Sharma Advocate

Enr. No. R/2078/2002



Mitra Sharma

Advocate Rajasthan High Court
Enr. No. R/2078/2002



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जोन-14)
राजस्थान सरकार



क्रमांक: LU2012/JDA/2019-20/100139

दिनांक: 30/06/2020

विषय: — राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :

श्री **SHAIENDRA SINGH** पुत्र श्री **RAVINANDAN SINGH** जाति **RAJPUT** निवासी **120 SHRI NARAYAN PURI BEHIND DIAMOND RESIDENCY JHOTWARA JAIPUR RAJASTHAN 302012**

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	वाटिका, सांगानेर (जयपुर)	PURE AWAS DEVELOPERS LLP	475/2	2.5846
कुल				2.5846

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की —मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जावेगा।

6. इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **30-06-2020** को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-14)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
उपस्थित एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



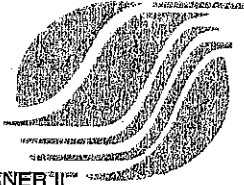
Government of Rajasthan e-Registration Fee Receipt

FIRST COPY

SRO Unique ID 2015399001167R
S R Location SANGANER-II
Receipt No RJ1706321502750
Name Of Seller RAGHUVVEER SINGH
Name Of Buyer PURE AWAS DEVELOPERS LLP
Type of Document Sale Deed
ACC Reference SHCIL/SHCIL RAJASTHAN/SANGANER II

Receipt Date

06-FEB-2015 17:33



Stock Holding Corporation of India Limited

Paid Fees

Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
Registration Fees	₹ 50000	CSI	₹ 300
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	₹ 0
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	₹ 0
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	₹ 50300	Service Charges	₹ 40
Grand Total	₹ 50340		
(Rupees Fifty Thousand Three Hundred Forty Only)			



Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it Invalid.



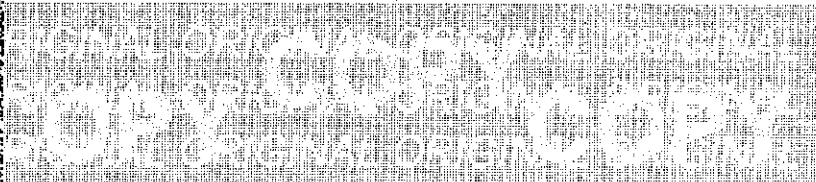
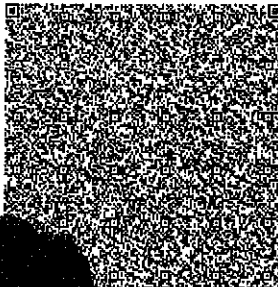
सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Rajasthan

e-Stamp



Certificate No.	: IN-RJ02017724712520N
Certificate Issued Date	: 06-Feb-2015 05:51 PM
Account Reference	: SHCIL (FI)/ rjshcil01/ SANGANER II/ RJ-RU
Unique Doc. Reference	: SUBIN-RJRJSHCIL0102136331665618N
Purchased by	: PURE AWAS DEVELOPERS LLP
Description of Document	: Article 21 Sale Deed (Conveyance Deed)
Property Description	: KH NO-475 492 VILL VATIKA SANGANER JAIPUR
Consideration Price (Rs.)	: 4,00,00,000 (Four Crore only)
First Party	: RAGHUVEER SINGH AND OTHERS
Second Party	: PURE AWAS DEVELOPERS LLP
Stamp Duty Paid By	: PURE AWAS DEVELOPERS LLP
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 31,98,680 (Thirty One Lakh Ninety Eight Thousand Six Hundred And Eighty only)



.....Please write or type below this line.....

रघुवीर सिंह
रमेश चandra
हिरा सिंह
देवी/र/

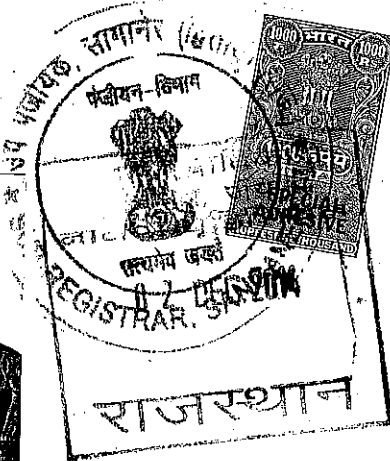
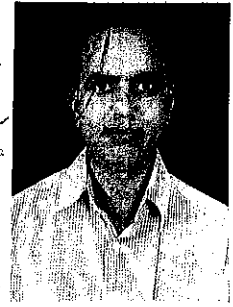
For Pure Awas Developers LLP
Rakesh Gupta
Authorised Signatory

उप पंजीयक
सांगानेर द्वितीय

0001509348

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



विक्रय पत्र



यह विक्रय पत्र आज दिनांक 06 फरवरी सन् 2015 को: (1) रघुवीर सिंह उम्र 66 वर्ष, (2) रामचरण सिंह उम्र 52 वर्ष, (3) हरिसिंह उम्र 47 वर्ष, एवं कंदार सिंह उम्र 43 वर्ष पुत्रान् स्वर्गीय श्री भंवरलाल जाति दरोगा निवासी ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त, जिन्हें आगे चलकर इस दस्तावेज विक्रय पत्र में प्रथमपक्ष विक्रेतागण शब्द से सम्बोधित किया गया है और शब्द प्रथमपक्ष विक्रेतागण में प्रथमपक्ष विक्रेतागण के समस्त वारिसान्, उत्तराधिकारी, स्थानापन्न, दायभागी, सदस्य, प्रतिनिधि, अभिकर्ता, विधिक हितधारी आदि सम्मिलित समझे जावेंगे।

.....प्रथमपक्ष विक्रेतागण

बहक

PURE AWAS DEVELOPERS LLP पंजीकृत कार्यालय पी-65, तृतीय तल, साऊथ एक्सटेंशन, पार्ट-2, न्यू दिल्ली-110049 जरिये अधिकृत प्रतिनिधि :- श्री राकेश गुप्ता उम्र 46 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री एस. बी. गुप्ता जाति महाजन निवासी 345, सैक्टर-5, गुडगांव (जिसे कम्पनी के निदेशको की बैठक दिनांक 02-02-2015 में यह विक्रय पत्र निष्पादित किये जाने हेतु रेजूलेशन पारित कर अधिकृत किया हुआ है) जिसे आगे चलकर इस दस्तावेज विक्रय पत्र में द्वितीयपक्ष क्रेता शब्द से सम्बोधित किया गया है और शब्द द्वितीयपक्ष क्रेता में द्वितीयपक्ष क्रेता के समस्त वारिसान्, उत्तराधिकारी, स्थानापन्न, दायभागी, सदस्य, प्रतिनिधि, अभिकर्ता, विधिक हितधारी आदि सम्मिलित समझे जावेंगे।

उप पंजीयक
सांगानेर द्वितीय

.....द्वितीयपक्ष क्रेता

कमश: 2

For Pure Awas Developers LLP

Rakesh Gupta
Authorised Signatory

हरिसिंह

कंदार



- 2 -



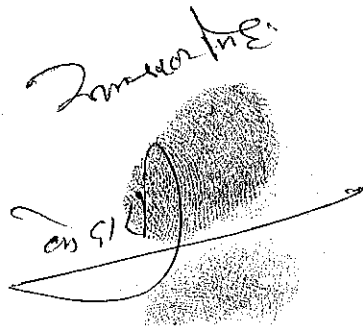
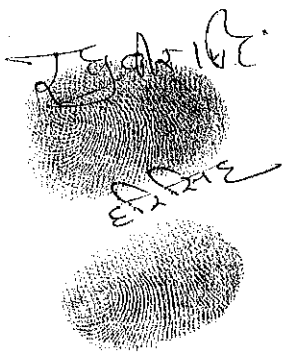
जो कि ग्राम वाटिका, पटवार क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर क्षेत्र में कृषि भूमि जमाबंदी सम्वत् 2066-2069 में आराजी खसरा नम्बर 475 रकबा 7.83 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 492 रकबा 0.35 हैक्टेयर कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 8.18 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण की खातेदारी प्रथमपक्ष विक्रेतागण हिस्सा बराबर-बराबर के नाम से राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में दर्ज है एवं प्रथमपक्ष विक्रेतागण के कब्जे व काश्त एवं स्वामित्व की है। जिसे विक्रय करने का प्रथमपक्ष विक्रेतागण को पूर्ण मालिकाना अधिकार है। प्रथमपक्ष विक्रेतागण ने आज से पूर्व उक्त वर्णित कृषि भूमि अथवा इसके किसी अंश व भाग को आज तक किसी भी प्रकार से किसी अन्य को विक्रय, दान, बन्धक, कर्जा-कुर्की, जमानत, अनुबंध, इकरार या अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित आदि अथवा बाधित नहीं की है और ना ही किसी भी व्यक्ति या संस्था, कम्पनी आदि से किसी प्रकार का लिखित अथवा मौखिक अनुबंध ही किया है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई अवाप्ति की कार्यवाही विचाराधीन/निर्णित नहीं है तथा ना ही किसी न्यायालय/अधिकरण आदि के समक्ष किसी प्रकार की कोई कार्यवाही चल रही है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि पर प्रथमपक्ष विक्रेतागण ही काबिज है और भूमि निरन्तर उनके स्वामित्व में चली आ रही है। उक्त वर्णित कृषि भूमि हर प्रकार के झगड़ो, टंटो, विवाद-विवाद, कर्ज-भार, आदि से पूर्णतया मुक्त व भार रहित एवं स्वामित्व की दृष्टि से हर तरह से पाक एवं साफ है। जिसे प्रथमपक्ष विक्रेतागण को प्रत्येक प्रकार से स्वतंत्र रूप से रहन, विक्रय, बख्शीश, दान अथवा अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करने के सम्पूर्ण स्वात्वाधिकार हक प्राप्त है।

जो कि प्रथमपक्ष विक्रेतागण को वर्तमान समय में अपनी निजी, पारिवारिक एवं अपने परिवार के विकास हेतु धन की आवश्यकता होने के कारण उक्त वर्णित कृषि भूमि को विक्रय किया जाना प्रथमपक्ष विक्रेतागण के हित में है, इसलिये प्रथमपक्ष विक्रेतागण ने अपने पारिवारिक सदस्यों की मौखिक सहमति व रजामंदी से उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 475 रकबा 7.83 हैक्टेयर में से पूर्वी साईड का भाग रकबा 3.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 492 रकबा 0.35 हैक्टेयर कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 8.18 हैक्टेयर में से विक्रयकृत रकबा 4.04 हैक्टेयर सम्पूर्ण (जिसे इस दस्तावेज विक्रय पत्र के साथ संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है और नक्शा इस दस्तावेज विक्रय पत्र का अभिन्न अंग समझा जावेगा।), जो कि ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में है, को समस्त स्वात्वाधिकारों मय इसमें स्थित पानी, पूला, मेड़, डोल, बोल, सोल, रास्ता, पेड़-पौधो, हक काश्त सहित को कुल

क्रमशः 3

For Pure Awas Developers LLP

[Signature]
Authorised Signatory





- 3 -



राशि रुपये 4,00,00,000/- अक्षरे चार करोड़ रुपये मंजूर की एक्ज. में उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता के हक में अन्तिम रूप से विक्रय कर दी है अर्थात् कर्तई बेच दी है। अब प्रथमपक्ष विक्रेतागण का उपरोक्त विवरणानुसार बेची गई कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का स्वतत्त्व, अधिकार, हित नहीं रहा है और ना ही भविष्य में रहेगा तथा द्वितीयपक्ष क्रेता ने विक्रय प्रतिफल की चुकती राशि निम्न सूचीनुसार प्रथमपक्ष विक्रेतागण को जरिये डी.डी./चैक द्वारा अदा कर दी है :-

डी.डी./चैक तादादी	दिनांक	बैंक का नाम	प्राप्तकर्ता
008341	25,00,000/-	08.11.14 आर.टी.जी.एस14312056615	रघुवीर सिंह
008340	25,00,000/-	08.11.14 आर.टी.जी.एस14312056564	रामचरणसिंह
008344	25,00,000/-	08.11.14 आर.टी.जी.एस14312056407	हरिसिंह
008343	25,00,000/-	08.11.14 आर.टी.जी.एस14312056505	केदार सिंह
171046	75,00,000/-	04.02.15 एकसीस बैंक, गुडगांव	रघुवीर सिंह
171045	75,00,000/-	04.02.15 एकसीस बैंक, गुडगांव	रामचरणसिंह
171047	75,00,000/-	04.02.15 एकसीस बैंक, गुडगांव	हरिसिंह
171048	75,00,000/-	04.02.15 एकसीस बैंक, गुडगांव	केदार सिंह
कुल	4,00,00,000/-रुपये		

उपरोक्तानुसार प्रथमपक्ष विक्रेतागण ने विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि इस दस्तावेज विक्रय पत्र को निष्पादित करते समय द्वितीयपक्ष क्रेता से प्राप्त कर ली है। जिनको प्राप्त करना प्रथमपक्ष विक्रेतागण इस दस्तावेज विक्रय पत्र में स्वीकार करते हैं। अब प्रथमपक्ष विक्रेतागण को उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता से विक्रय की राशि पेटे कुछ भी लेना बकाया नहीं रहा है, और ना ही भविष्य में रहेगा तथा प्रथमपक्ष विक्रेतागण ने अपने स्वामित्व कब्जे काशत अनुसार विक्रय की गई कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 475 रकबा 7.83 हैक्टेयर में से पूर्वी साईड का भाग रकबा 3.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 492 रकबा 0.35 हैक्टेयर कुल खसरा किता 2 कुल विक्रयकृत रकबा 4.04 हैक्टेयर का मौके पर भौतिक एवं वास्तविक रूप से कब्जा विक्रय पत्र निष्पादन से पूर्व ही उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता को सम्भला दिया है और हर प्रकार से उपयोग-उपभोग में लेने हेतु स्वतंत्र कर दिया है।

यह कि विक्रय की गई कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 475 रकबा 7.83 हैक्टेयर में से पूर्वी साईड का भाग रकबा 3.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 492 रकबा 0.35 हैक्टेयर कुल खसरा किता 2 कुल विक्रयकृत रकबा 4.04 हैक्टेयर की अब आज से द्वितीयपक्ष क्रेता एकमात्र मालिक व स्वामी काबिज हो गयी है तथा अब द्वितीयपक्ष क्रेता उक्त विक्रय की गई कृषि भूमि को इस दस्तावेज विक्रय पत्र के आधार पर अपनी इच्छानुसार जिस प्रकार से चाहे काम में लेवें, उपयोग व उपभोग करें, भूमि पर स्वयं

क्रमशः 4

For Pure Awas Developers LLP

Rakesh Gupta
Authorised Signatory

रघुवीर सिंह
हरिसिंह

Ramesh Singh
केदार सिंह



काशत करें, अन्य से काशत करावें, पानी-बिजली कनेक्शन स्वयंसेवा प्रदान करें, किसी भी सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्था, निकाय आदि से ऋण-शुल्क प्राप्त करें, किसी भी संस्था, कम्पनी या अन्य दीगर व्यक्ति के हक में रहन, विक्रय, बख्शीश, दान, पुण्य व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण आदि कर फायदा उठावें। उक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में सभी प्रकार की लीजडीड आदि प्राप्त करने/देने सम्बन्धी सभी मालिकाना अधिकार प्रथमपक्ष विक्रेतागण के समान ही द्वितीयपक्ष क्रेता को प्राप्त हो गये हैं। इसमें प्रथमपक्ष विक्रेतागण एवं उनके विधिक वारिसान्, उत्तराधिकारीगण आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति या उज्र नहीं होगा।

यह कि विक्रय की गई कृषि भूमि आज तक सभी प्रकार के भारों, बंधनो एवं प्रभारों से मुक्त व साफ है तथा भविष्य में उक्त विक्रय की गई कृषि भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिये प्रथमपक्ष विक्रेतागण उत्तरदायी होंगे। यदि प्रथमपक्ष विक्रेतागण अथवा उसके पूर्ववर्ती व सहदायिकी स्वामी के स्वामित्व सम्बन्धित अधिकारों की त्रुटि के कारण विक्रय की गई कृषि भूमि सम्पूर्ण अथवा उसका कोई अंश व हिस्सा द्वितीयपक्ष क्रेता के अधिकार से निकल जावे अथवा द्वितीयपक्ष क्रेता को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति उठानी पड़े तो द्वितीयपक्ष क्रेता द्वारा इस प्रकार की वहन की गई क्षति की राशि मय पारिणामिक नुकसान, हर्जा-खर्चा ब्याज सहित प्रथमपक्ष विक्रेतागण अथवा उसकी चल व अचल सम्पत्ति से वसूल करने का सम्पूर्ण अधिकार द्वितीयपक्ष क्रेता को होगा।

यह कि द्वितीयपक्ष क्रेता इस दस्तावेज विक्रय पत्र के आधार पर उक्त वर्णित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 475 रकबा 7.83 हैक्टेयर में से पूर्वी साईड का भाग रकबा 3.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 492 रकबा 0.35 हैक्टेयर कुल खसरा किता 2 कुल विक्रयकृत रकबा 4.04 हैक्टेयर का नामान्तरण राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में अपने हक में करवा लें। यदि उक्त विक्रयकृत कृषि भूमि के सम्बन्ध में नाम हस्तान्तरण एवं राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में नामान्तरण करवाने हेतु अथवा जब भी द्वितीयपक्ष क्रेता को प्रथमपक्ष विक्रेतागण के हस्ताक्षरों, बयानों, गवाही अथवा किसी भी प्रकार की कार्यवाही आदि करने के लिये तथा द्वितीयपक्ष क्रेता को हर प्रकार से सहयोग करने हेतु प्रथमपक्ष विक्रेतागण सदैव पूर्ण रूप से बाध्य हैं व रहेंगे।

यह कि प्रथमपक्ष विक्रेतागण व द्वितीयपक्ष क्रेता के सब अधिकार व उत्तरदायित्व सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के अनुसार लागू होंगे।

यह कि उक्त विक्रय की गई कृषि भूमि वाटिका से लाखना जाने वाली मुख्य रोड पर स्थित है एवं आबादी से लगभग 1 किलोमीटर दूर है।

यह कि विक्रय पत्र की रजिस्ट्री सम्बन्धी व स्टाम्प शुल्क आदि का खर्चा द्वितीयपक्ष क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

क्रमशः 5

For Pure Awas Developers LLP

Rakesh Gupta
Authorised Signatory

सुधीर 16/12
सुधीर

सुधीर
सुधीर



यह कि प्रथमपक्ष विक्रेतागण को आयकर विभाग से पेन नम्बर आवंटित नहीं है तथा द्वितीयपक्ष क्रेता को आवंटित पेन नम्बर AA/NEP/24563 है।

अतः यह विक्रय पत्र प्रथमपक्ष विक्रेतागण ने अपनी निजी इच्छा एवं प्रसन्नता से पूर्ण होशो-हवास की अवस्था में किसी किसी व्यक्ति के दबाव या आग्रह के एक स्टाम्प मय एक स्टाम्प कीमति 2908800/- रूपया व चार ग्रीन पेपर कुल किता पांच पर बहक द्वितीयपक्ष क्रेता लेख्य करवा दिया है और विक्रय पत्र की ईबारत को भली प्रकार से पढ़ पढ़ाकर, सुन व समझकर, सही स्वीकार कर अपने-अपने हस्ताक्षर निम्न गवाहान की उपस्थिति में कर दिये कि प्रमाण रहे, समय पर काम आवे। इति। दिनांक 06 फरवरी सन् 2015 ईस्वी।

गवाहान गुणोदय शर्मा

1. हस्ताक्षर

नाम : गुणोदय शर्मा

पिता का नाम : श्री प्रहलाद शर्मा

जाति ब्रह्मण उम्र 43 वर्ष

व्यवसाय : व्यापार

पता : ग्राम व पोस्ट वाटिका,
ठहसील सोमगौर

2. हस्ताक्षर अमर सिंह

नाम : अमर सिंह

पिता का नाम : श्री हरदत्त लाल

जाति कुर्मी उम्र 39 वर्ष

व्यवसाय : व्यापार

पता : ग्राम फाकी, ठहसील बावल

जिला बैठावा, हरियाणा

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष विक्रेतागण

रघुवीर सिंह

(1) रघुवीर सिंह

रामचरण सिंह

(2) रामचरण सिंह

हरिसिंह

(3) हरिसिंह

कैदार सिंह

(4) कैदार सिंह

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष क्रेता

For Pure Awas Developers LLP

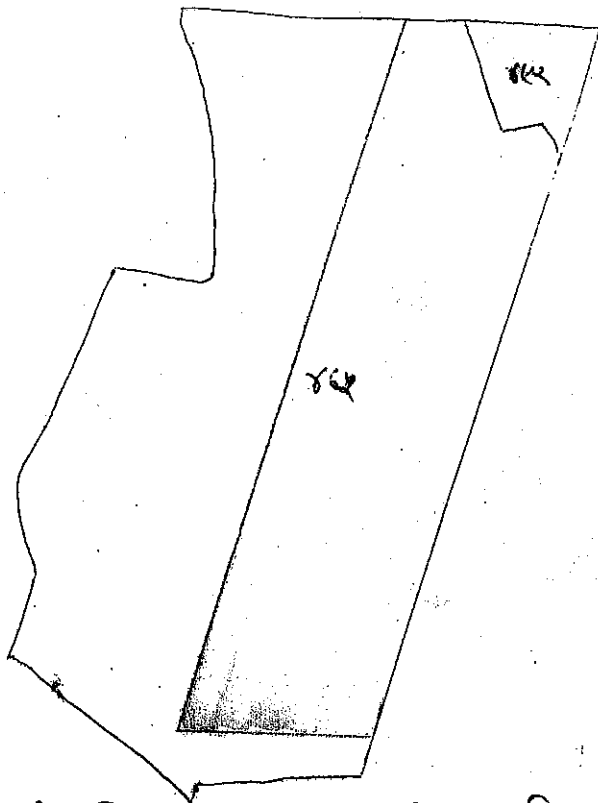
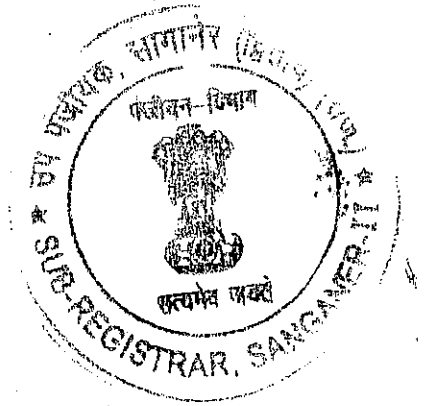
Pakeer Gupta

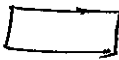
Authorised Signatory

उप पंजीयक
संगानेर द्वितीय



नरुल नमशा डेस ७३ कोला
बहुवर्षीय सांगनेर जिला जपान
प्रमाण (१८९८३-८४) दिनांक २०००-०१
पैसा १८००.०० मीटर



नोट - प्लॉट की सर्वेक्षणी को कर देना के प्रमाणित जमा है - 


रजिस्ट्रार

(हस्ताक्षर प्रमाणपत्र विक्रीलागण)

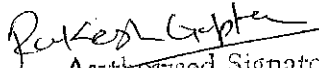

रजिस्ट्रार

(हस्ताक्षर जिलापदा केला)


रजिस्ट्रार


रजिस्ट्रार

For Pure Awas Developers LLP


Authorised Signatory

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAIPUR-III

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 28-06-2022 4:43 PM

Fee Receipt No	: 202202017012152	Receipt Date	: 28/06/2022
Name	: PURE AWAS DEVELOPERS LLP AUTH SIGN SHAILENDRA SINGH,	Document S. No.	: 202201017008913
Address	: 120 ,SHRI NARAYAN PURI ,JAIPUR ,JAIPUR		
Document Type	: Township Policy-2010		
Face Value	: ₹ 500	Evaluated Value	: ₹ 11279203
Ord-Registration Fee	: ₹ 20	Fee for Memorandum Us 64-87	₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us 171	₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	₹
Surcharge	: ₹ 36	Stamp Duty	₹ 120
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	₹ 0
Custody	: ₹	Others	₹ 0
		Cash Amount Received	₹ 0
		Other than Cash	₹ 376
		Total Amount	₹ 376

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 63958631 ₹ 376

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

e-Challan

Registration and Stamps Department
Government of Rajasthan

GRN: 0063958631



28/06/2022 15:59:14

Office Name: SUB REGISTRAR-III REGISTRATION & STAMPS, JAIPUR

Location: JAIPUR (CITY)

Period: 28/06/2022-To-30/06/2022

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-02-00-स्टाम्प शुल्क पर अधिभार	12.00
2	0030-02-800-03-00-स्टाम्प शुल्क पर गो संवर्धन/ संरक्षण हेतु अधिभार	12.00
3	0030-02-800-04-00-प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से राहत हेतु अधिभार	12.00
4	0030-03-800-01-00-अन्य प्रप्तियां	200.00
5	0030-03-104-01-00-पंजीकरण शुल्क से प्राप्ति	20.00
6	0030-02-103-01-00-दस्तावेजों के मुद्रांकन/कमी मुद्रांक हेतु प्राप्त आय	120.00
Commission(-):		0.00
Total/NetAmount:		376.00

Three Hundred Seventy Six Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: PURE AWAS DEVELOPERS LLP

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :

Pan No.(If Applicable):

City(Pincode): JAIPUR(302012)

Address:JAIPUR

Remarks:JDA PATTA FREE HOLD STAMP DUTY AND
REGISTRATION AND CSI FEES OF RESIDENTIAL EKAL
PATTA, CMJAY-2015 PROVISION-3A, VILLAGE VATIKA,
TEHSIL SANGANER, JAIPUR, RAJASTHAN

Payment Details:

Challan No. - 0

Bank: SBlePAY(Credit/Debit Cards)

Bank CIN No: SBIN6395863128062022

Date: 28/06/2022 15:59:14

Refrence No: 3333173131938

Computer generated copy on : 28/06/2022

Courtsy : <https://Egras.raj.nic.in>

For PURE AWAS DEVELOPERS LLP

Authorised Signatory



Presentation Endorsement

आज दिनांक 28 माह 06 सन् 2022 को 04:38 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री PURE AWAS DEVELOPERS LLP AUTH SIGN
SHAILENDRA SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RAVINANDAN SINGH
उम्र 38 वर्ष, जाति 0-RAJPUT, व्यवसाय Other
निवासी House No.:120, Colony: SHRI NARAYAN PURI, Area: BEHIND
DIAMOND RESIDENCY, JHOTWARA, City: JAIPUR, Pin code:
302012, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN

ने मेरे सम्मुख हस्ताक्षर पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202201017008913

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JAIPUR III

Lease deed under Township Policy-2010 for first allotment (i) For other than commercial purpose i.e. residential/institutional/tourism etc.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202202017012152
दिनांक	28-06-2022
पंजीयन शुल्क ₹	20
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	120
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	36
कुल योग	376

202201017008913

Lease deed under Township Policy-2010 for first allotment (i) For other than commercial purpose i.e. residential/institutional/tourism etc.

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 63958631 ₹ 376



Endorsement of Execution

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता

1 श्री/श्रीमती/सुश्री PURE AWAS DEVELOPERS LLP AUTH
SIGN SHAILENDRA SINGH, पुत्र/पुत्री/पति श्री RAVINANDAN
SINGH, व्यवसाय Other जाति 0-RAJPUT
House No.:120, Colony: SHRI NARAYAN PURI, Area:
BEHIND DIAMOND RESIDENCY, JHOTWARA, City:
JAIPUR, Pin code: 302012, District: JAIPUR, State:
RAJASTHAN

छायाचित्र

अंगूठा

पक्षकारों का
प्रकार



Claimant
Age : 38
Signature :

[Signature]

ने लेख्यपत्र Lease deed under Township Policy-2010 for first allotment (i) For other than commercial purpose residential/institutional/tourism etc. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु 500/- पूर्व में / मेरे समक्ष / मैं से रु 500/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता

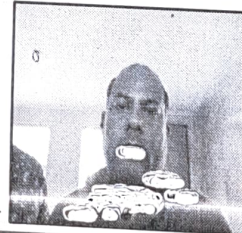
1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAJKUMAR KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पति
श्री SOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMAWAT
Age: 42
Add: House No.:151, Colony: SHREE RAM NAGAR, Area:
JHOTWARA, City: JAIPUR, Pin code: 302012, District:
JAIPUR, State: RAJASTHAN

छायाचित्र

अंगूठा

हस्ताक्षर

Signature



[Signature]

202201017008913

[Signature]
Sub Registrar
Jaipur-III

Lease deed under Township Policy-2010 for first allotment (i) For other than commercial purpose
i.e. residential/institutional/tourism etc.



Registration Endorsement

आज दिनांक 30/06/2022 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 895 में
पृष्ठ संख्या 47 क्रम संख्या 202203017107840 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3603 के
पृष्ठ संख्या 215 से 228 पर चस्पा किया गया।

202201017008913

Lease deed under Township Policy-2010 for first allotment (i) For other than commercial purposes residential/institutional/tourism etc.


उप पंजीयक, JAIPUR III
Sub Registrar
Jaipur III

जयपुर विकास प्राधिकरण



SITE PLAN OF RESIDENTIAL EKAL PATTI (CMJAY - 2015 PROVISION- 3A)

KHASRA NO - 475/2

IN REVENUE VILLAGE - VATIKA, TEH- SANGANER, JAIPUR.

A - TOTAL LAND AREA

= 6916.19 SQ.M.

B - LAND SURRENDERED IN ROAD 30MT. WIDE

= 1629.93 SQ.M.

C - NET PLOT AREA

= 5021.46 SQ.M.

D - LAND SURRENDERED IN 5% FACILITY AREA

= 264.80 SQ.M.

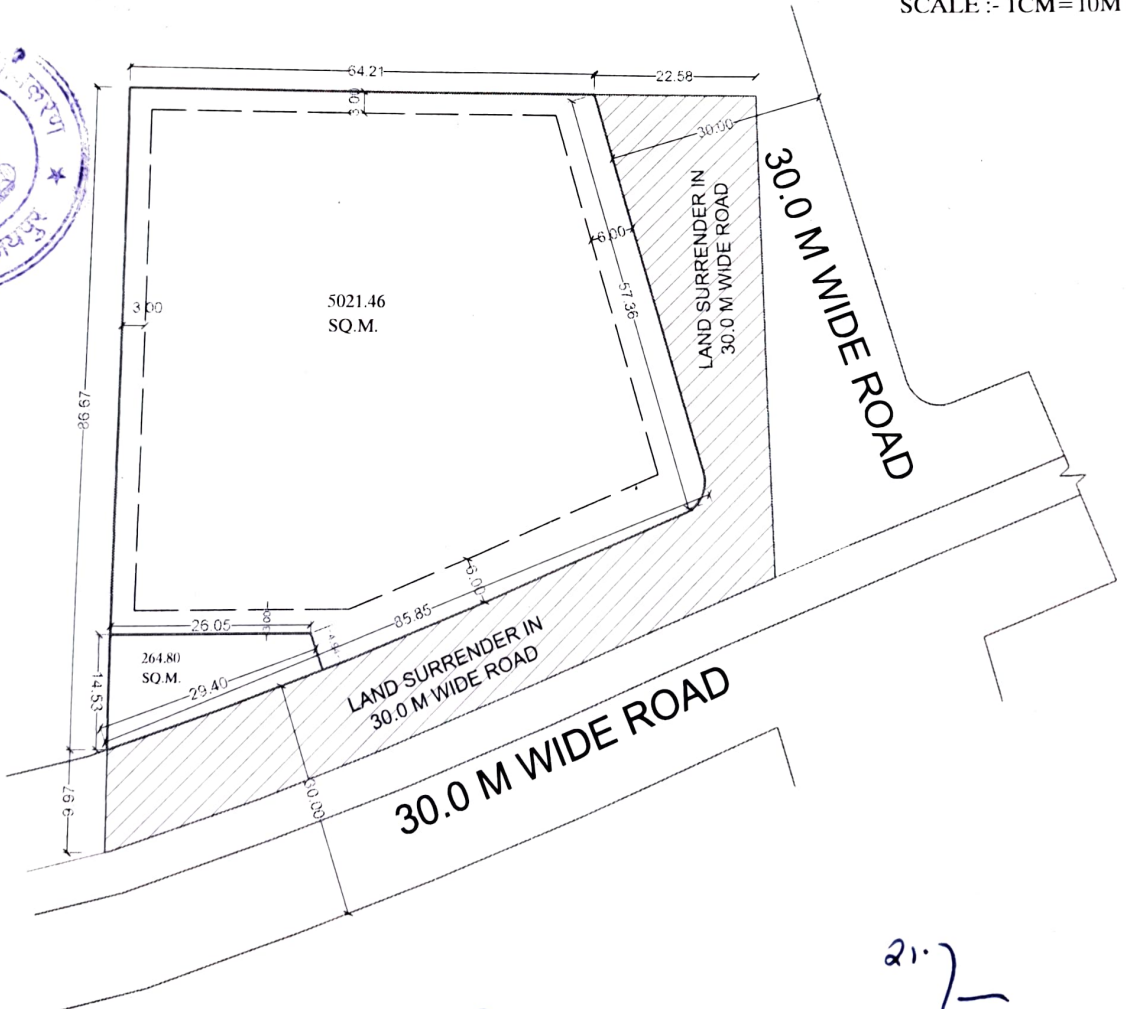
OTHER BUILDING PARAMETER AS PER CMJAY - 2015
APPROVED AS PER TOWNSHIP POLICY 2010

B.A.R. = 2.00

GROUND COVERAGE = 50 %



SCALE :- 1CM=10M



Push
SITE ENGINEER
ZONE - 14

Mem am
A.T.P.
ZONE - 14

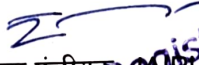
21-
उपायुक्त जोन-14
ज. वि. प्र. जयपुर
DY. COMMISSIONER
ZONE - 14



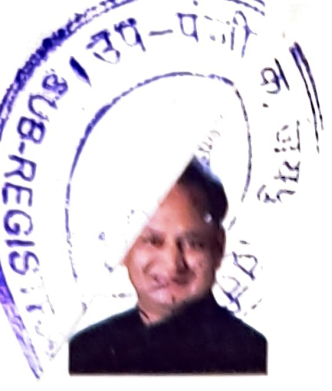
Registration Endorsement

आज दिनांक 30/06/2022 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 895 में
पृष्ठ संख्या 47 क्रम संख्या 202203017107840 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3603 के
पृष्ठ संख्या 215 से 228 पर चस्पा किया गया।

202201017008913


उप पंजीयक, जयपुर III
Sub Registrar
Jaipur-III

Lease deed under Township Policy-2010 for first allotment (i) For other than commercial purpose i.e. residential/institutional/tourism etc.



जयपुर विकास प्राधिकरण

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

आवासीय

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 2269

दिनांक 31/5/2022

पट्टा धारक का नाम श्री और आवास डेवलपर्स पुत्र/पुत्री
पत्नी एल.एस.पी. जयपुर डेवलपर्स पति
निवासी 120 श्री नारायणपुरी विहा 55 डापम 5 राजा डमी जयपुर

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स एल.एस.पी. जयपुर डेवलपर्स कार्यालय पता जयपुर
(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री एल.एस.पी. जयपुर डेवलपर्स पुत्र/पुत्री
निवासी जयपुर
भूखण्ड सं. 475/2 का क्षेत्रफल 5021.46 वर्ग मी.
राजस्व ग्राम वारिका तहसील सागानेर खसरा सं. ... में स्थित है।
योजना मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 प्रोजेक्ट 3A
स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 31/5/2022 को निष्पादित किया जाता है।

For PURE AWAS DEVELOPERS LLP

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Authorised Signatory

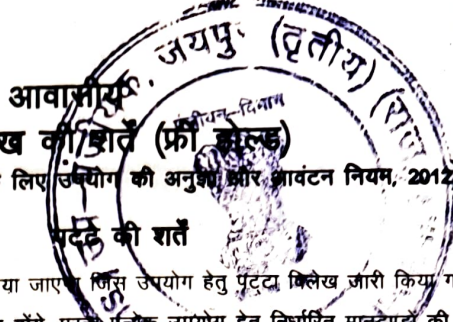
2. ...

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

217-
उपायुक्त जिन-14

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

Sub Registrar
Jaipur-III



पट्टा विलेख का शर्तें (फ्री होल्ड) (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुमति और आवंटन नियम, 2012)

पट्टा की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाए।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा, परन्तु भूखण्ड को पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य.....

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

मुख्यमंत्री एवं आवास योजना 2015 के प्रावधानों के अन्तर्गत
स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि

SV-500+50/-

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व..... पश्चिम.....
उत्तर..... दक्षिण.....

साइट प्लान संलग्न है।

for PURE AWAS DEVELOPERS LLP

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. Authorized Signatory

2.



अंगूठा निशान

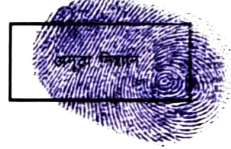
साक्षी :-

हस्ताक्षर.....

नाम सोहन लाल शर्मा

पता 79 शिव कॉलोनी

सांगानेर



उपायुक्त जॉन-14

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

महोदय पर प्रतीक मयन



राजस्थान RAJASTHAN

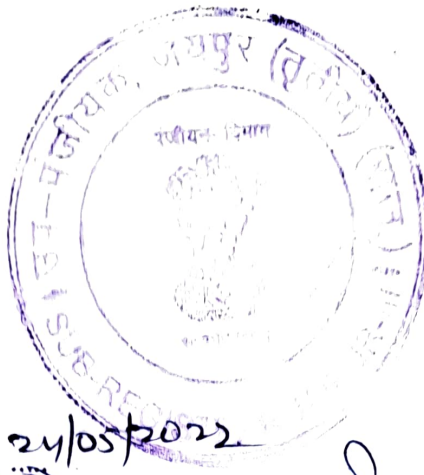
W 469407



मि. श्री. लालचंद जी. मेहता मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 प्रोजेक्ट 3A
के अन्तर्गत प्लॉट 475/2-5021.46 वर्ग मी.
की सीमा काट कर 500+50 वर्ग मी.
काट कर बनाया है।

21-7-
जयपुर (दिनांक-14)
ए. वि. ज. जयपुर

Sub Registrar
Jaipur-III



क्रमांक 2895 दिनांक 24/05/2022
मुद्रांक का मूल्य 500
क्रेता का नाम एच. आवास जलपूर LUP
पिता/पति का नाम
पता
मुद्रांक का प्रयोजन जलपूर
हस्ताक्षर विक्रेता

रमा रजनी शर्मा
हस्ताक्षर विक्रेता
जे.डी.ए. जलपूर, जयपुर
ला नं 13/2012

राजस्थान राज्य अधिनियम, 1996 के अंतर्गत	
स्टाम्प राशि प्रमाणित करने के लिए	
1. आधारभूत आवश्यकता के तहत (धारा 3-क) 100 रु.	50
2. माय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 1-ख)-20% माय	100
हस्ताक्षर स्टाम्प कण्डर कुल योग	150

R

उप-पंजीयक

उप-पंजीयक

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

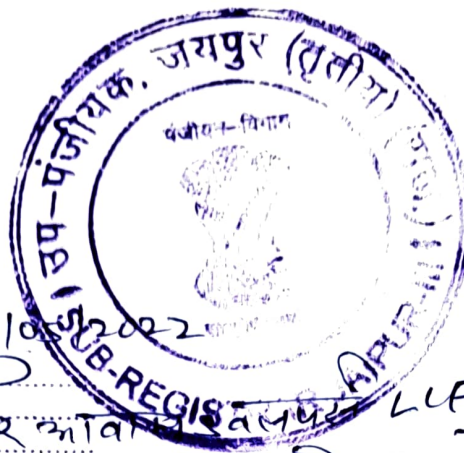
BG 218890

राजस्थान RAJASTHAN
19 MAY 2022
ज्युडिशियल



मिस्टर जयदेवजी की भोजन मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 प्रविजन 3
के नुमांदा क्रमांक 475/2 के द्वारा 5021.46 वर्ग मी.
की बीपी बीपी के 500+50 के
स्थान पर बना है।
21.7
(14)
ज. म. म. जयपुर

Sub Registrar
Jaipur-III



क्रमांक २८९६ दिनांक २५/०५/२०१२
 पूंजी का मूल्य ५०
 कंपनी का नाम एयोर आवाय
 पता ५७५/२, गोलिया, सागा
 मुद्रांक का प्रयोग जयपुर
 हस्ताक्षर विक्रेता

५७५/२, गोलिया, सागा
 जयपुर

रमा रानी रमा
 रमा रानी रमा
 जे.डी.ए. परिसर, जयपुर
 ला. नं. १३/२०१२

राज्यपाल नरेश्वर शर्मा, मुख्य अधिकारी, जयपुर	
१ आधारभूत आवश्यकताएं, जयपुर	५
२ राज्य और जयपुर	१०
हस्ताक्षर रमा रानी	१५